

मोतीलाल नेहरू कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय

पेंशन पाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया जाने वाला प्रमाण - पत्र

जीवित होने का प्रमाण - पत्र

मैं यह प्रमाणित करता /करती हूँ की मैंने पेंशन पाने वाले श्री/ श्रीमती/ डॉ.
को देखा है। वे आज की तिथि में जीवित है।

हस्ताक्षर :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम :

स्थान :

पदनाम :

दिनांक :

कार्यालय की मोहर :

पुनर्विवाह करने / न करने का प्रमाण - पत्र

मैं, इसके द्वारा यह घोषित करता / करती हूँ की मैंने /
पिछले छह महीने में पुनर्विवाह नहीं किया है।

हस्ताक्षर :

पेंशन पाने वाले का नाम :